

वाइस चान्सलर, कई प्राक्टर, कई प्रो-वाइस चान्सलर—यानी एक बैटेलियन आफ आफिसर्स का निर्माण किया गया है। जब इस बिल पर क्लोज वाइस डिसकशन होगा और मेरी अमेंडमेंट्स आएंगी तब मैं बोलूंगा लेकिन मैं चाहूंगा मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर गहराई से विचार करें। केवल 95 की जगह 96 युनिवर्सिटी खोलने से कोई उपयोगिता नहीं है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : The discussion on the Bill will continue tomorrow. Mr. Shekhawat.

6 P.M.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION ON POINTS ARISING OUT OF ANSWER TO UNSTARRED QUESTION NO. 41 GIVEN ON THE 22ND JULY, 1974 RE CHEMICAL COMPLEX AT SAMBHAR IN RAJASTHAN

श्री भैरों सिंह शेखावत (मध्य प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न के उत्तर में पैट्रोलियम और रसायन मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : Mr. Shekhawat, I will close this discussion just at 6.30. If you want the Minister to reply you control your time accordingly.

श्री भैरों सिंह शेखावत : दो मिनट तो इस बीच में हो गये हैं। तो मंत्री जी ने यह उत्तर दिया था :—

“M/s. Hindustan Salts Ltd., Jaipur, a Public Sector Undertaking, have submitted two applications for grant of industrial licence under the Industries (D & R) Act, 1951, for setting new units at Sambhar in the State of Rajasthan for manufacture of

the following items for capacities against each item :

Soda Ash
Ammonium Chloride
Caustic Soda . . .
Liquid Chlorine
Benzene Hexachloride
Bleaching Powder
Phosphoric Acid

The Company also proposes to set up a Sodium Sulphate Recovery Plant with an installed capacity of 15,000 tonnes/year and a Salt Washery for 1,00,000 tonnes/year.”

“सी” के उत्तर में कहा था No. Sir.

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 1950 में हिन्दुस्तान की सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में एक समझौता हुआ था और उस समझौते के अनुसार सांभर लेक, जहां पर नमक का उत्पादन होता है, वह भारत सरकार को लीज पर दे दिया गया। 1960 में भारत सरकार ने हिन्दुस्तान साल्ट्स कंपनी का गठन किया और उस गठन के समय राजस्थान सरकार का विरोध रहा। राजस्थान सरकार ने कोई अनुमति नहीं दी कंपनी बनाने के लिए और राजस्थान सरकार को जो रायल्टी मिलती थी उस रायल्टी की भी बन्द करने का निर्णय लिया। राजस्थान सरकार और हिन्दुस्तान की सरकार के बीच एक विवाद बढ़ गया और उस विवाद का निबटारा कराने के लिए श्री वी० टी० कृष्णमाचारी को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी ने अपना निर्णय दिया और उस निर्णय के अनुसार मैं सब बातों की ओर सदन का ध्यान तो आकृष्ट नहीं करना चाहता हूँ और न समय बरबाद करना चाहता हूँ, लेकिन

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

मैं एक दो बात मुख्य रूप से बतलाना चाहता हूँ।

एक बात तो यह है कि :

“A new company either as a subsidiary organisation or an independent company will be formed for the administration of the Sambhar Lake. The State Government would have two Directors on the Board of Directors of the new company. The new company shall set up industries for the recovery of by-products of the salt industry and also establish industries based on salt. The total strength of the Board of Directors should be eight.”

तीसरा फँसला यह किया कि राजस्थान सरकार को 16 लाख रुपया प्रति-वर्ष केन्द्र की सरकार देती रहेगी और यह रुपया उस समय तक दिया जायेगा जब तक हिन्दुस्तान साल्ट कंपनी की कोई सबसिडियरी कंपनी नहीं बना दी जाय। 1964 में सांभर साल्ट नाम मे एक सबसिडियरी कंपनी बना दी गई। 1964 से लेकर आज तक राजस्थान सरकार को 16 लाख रुपया रायल्टी के रूप में मिलता था वह बन्द कर दिया गया और उसके बदले में जो प्राफिट था, उस प्राफिट का 60 परसेंट तो भारत सरकार को मिला और 40 परसेंट राजस्थान सरकार को मिला। इस तरह से 1964-65 में राजस्थान सरकार को 2 लाख रुपया मिला और 1972-73 में 2 लाख 60 हजार रुपया ही मिला। अब आप इससे अन्दाजा लगा ले कि प्रोडक्शन में या उसके डेवलपमेंट में किस प्रकार से प्रगति हुई होगी। अगर प्रगति हुई होती तो जब 1964-65 में 2 लाख की राशि मिली थी, तो यह राशि आगे बढ़ कर केवल 2 लाख 60 हजार तक ही पहुंची। इसके विपरीत

राजस्थान सरकार के पास दो संगठन एक डिडवाने में और दूसरा पचपादा में बन गये। इन दोनों जगहों पर राजस्थान सरकार नमक का उत्पादन करती है और राजस्थान सरकार नमक बेचती है। अगर आप इन दो संगठनों को देखेंगे तो आप ताज्जुब करेंगे कि राजस्थान सरकार ने पहिले 20 टन का सोडियम सल्फेट का पायलट प्लान्ट लगाया था, जिसकी कैपेसिटी उसने 40 टन तक बढ़ा दी और अब उसको 100 टन प्रति दिन की कैपेसिटी का बनाया जा रहा है। इससे राजस्थान सरकार को लगभग 50—60 लाख रुपये का लाभ हो रहा है। 1971 में सांभर साल्ट्स में बाढ़ आई। उसमें इतना मिसमैनेजमेंट रहा कि लगभग 20 लाख रुपया का सामान पानी में बह गया और तब बह गया जब राजस्थान सरकार फारकास्ट कर रही थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा था कि बाढ़ आने वाली है। अभी जो बाढ़ आई उसमें 70 हजार टन नमक पानी के अन्दर बह गया। मिसमैनेजमेंट के बारे में, एमबेजिलमेंट के बारे में, मिसएप्रोप्रिएशन के बारे में दास्तान इतनी बड़ी है कि सदन में दिन भर सुनाई जाय तो भी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती।

राजस्थान एक बैकवर्ड स्टेट है और हर तरह से बैकवर्ड है। पर-कैपिटा इनकम राजस्थान की आल इंडिया एवरेज से कम है। राजस्थान का इरीगेशन पोर्टेशियल बाकी स्टेट्स के मुकाबले कम है। राजस्थान में पर-कैपिटा पावर का जनरेशन दूसरी स्टेट्स के मुकाबले कम है, कम्युनिकेशन कम है, इंडिस्ट्रियल ग्रोथ कम है। ऐसी स्थिति में राजस्थान

सरकार के सामने भयंकर रूप से आर्थिक संकट आ रहा है। इस संकट के अवसर पर भारत सरकार हिन्दुस्तान साल्ट्स कम्पनी के नाम से सांभर साल्ट्स पर कब्जा करके बैठी है और अभी तक 1950 से 1974 तक उसके बाइ-प्रोडक्ट्स के नाम पर एक भी इंडस्ट्री नहीं लग पाई जब कि उसी के साल्ट के आधार पर डी० सी० एम० और रोहतास ने कास्टिक सोडा बनाने का कारखाना लगा लिया। यह बड़े शर्म की बात है कि स्टेट एन्टर-प्राइज का बाइ-प्रोडक्ट प्राइवेट सेक्टर में बने। उसका प्रोडक्शन बिना विशेष इनवेस्ट-मेंट के किया जा सकता था, लेकिन भारत सरकार ने वैसा नहीं किया और इस तरह उसके मैनेजमेंट के साथ अन्याय किया। रायल्टी के रूप में राजस्थान सरकार को 64 से लेकर आज तक 1 करोड़ 66 लाख रुपए का नुकसान पहुंचा। केन्द्रीय सरकार ने इस तरह राजस्थान की जनता का एम्प्लायमेंट पोर्टेशियल खत्म कर दिया, राजस्थान में बाइ-प्रोडक्ट्स के जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज पनपाई जा सकती थी, वे नहीं होने दीं। मैं नहीं चाहता कि हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी को भंग करके किसी प्राइवेट कम्पनी को दे दिया जाय। मैं यह कहना चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान साल्ट्स को वाइन्ड अप कर दिया जाय और सारा काम राजस्थान सरकार को दे दिया जाय। आखिर हिन्दुस्तान साल्ट कम्पनी के पास है क्या? उसके पास है एक सांभर साल्ट्स, दूसरा है हिमाचल में मंडी और तीसरा है गुजरात में खारागोडा। मंडी और खारागोडा दोनों नुकसान वाले क्लसर्स हैं, इनमें कोई फायदा नहीं होता। केवल सांभर के प्रोडक्शन से जो फायदा हो रहा है उसी के आधार पर कभी 5

लाख रुपए कभी साढ़े 5 लाख रुपए का प्रॉफिट दिखाया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि डीडवाना में सांभर साल्ट्स के साथ सोडियम सल्फेट का प्लान्ट लगाने के लिए जर्मन कोलेबोरेशन में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गई। यदि आज से 8 वर्ष पहले सोडियम सल्फेट का प्लान्ट लग जाता तो आज तो 100 परसेंट प्राइसेज बढ़ गई है, उस पर ज्यादा खर्चा न होता। वहां पर बाइ-प्रोडक्ट्स के बारे में राजस्थान सरकार ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई, लेकिन वह 6 वर्ष से भारत सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई है और उस कारण से बाइ-प्रोडक्ट्स की किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज नहीं लगाई गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अगर हमारे यहां के बड़े-बड़े मंत्रियों के रिश्तेदारों को वहां जनरल मैनेजर और चेयरमैन बनाने के लिए सांभर साल्ट्स कम्पनी को या हिन्दुस्तान साल्ट्स कम्पनी को आप चालू रखना चाहते हैं तो वह आपकी मर्जी की बात है, लेकिन अगर उद्देश्य स्टेट की इनकम को बढ़ाना है, बाइ-प्रोडक्ट्स के आधार पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना है, एम्प्लायमेंट पोर्टेशियल को बढ़ाना है, पीजेन्ट्स को, ट्रेडर्स को और कन्ज्यूमर्स को प्रॉफिट देना है तो आपको इस कम्पनी को वाइन्ड अप कर देना चाहिए। इसके सिवा कोई तरीका नहीं है। आखिर राजस्थान सरकार ने कौन सा अपराध किया है? राजस्थान सरकार ने हिन्दुस्तान साल्ट्स कम्पनी बनाने की अनुमति नहीं दी। आज भी कानून की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि अभी तक कोई एग्जीमेंट नहीं हुआ। राजस्थान सरकार की तरफ से सांभर साल्ट्स के बारे में, हिन्दुस्तान साल्ट्स

[श्री भैरों सिंह शेखावत]

कम्पनी के बारे में आज तक कोई एग्रीमेंट नहीं है। राजस्थान के किसी अधिकारी या किसी मंत्री के हस्ताक्षर नहीं है। फिर भी 15 वर्ष से यह कम्पनी चली आ रही है, दूसरे की जमीन पर चले रही है। इस संबंध में ज्यादा न कह कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इस प्रश्न के ऊपर गम्भीरता से विचार करे। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना में प्लानिंग कमीशन ने इस बात को शायद एप्रूव किया है कि वहां सोडियम सल्फेट का प्लान्ट लगाने की बात अंडर कंसीडरेशन है, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि इस से सांभर साल्ट का डवलपमेंट नहीं होगा। यदि खारागोडा सांभर साल्ट और डीडवाना को, इन तीनों को एक स्टेट अंडरटेकिंग के रूप में काम करने की इजाजत दे दी तो उस से सांभर का भी डवलपमेंट हो जायगा और वहां का प्राफिट भी बढ़ जायगा और वहां का अनइम्प्लायमेंट भी दूर होगा। और उससे राज्य सरकार और वहां कि जनता का भी भला होगा। इसलिए मैं अंत में इतना ही निवेदन करूंगा कि आप उनको परमीशन दें या नहीं, लेकिन सबसे पहले आप सांभर साल्ट को वाइंडअप करे और उसको राजस्थान सरकार के सुपुर्द किया जाय। इन शर्तों के साथ मैं अपनी बात रख रहा हूँ।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : उपसभापति जी, मेरे आदरणीय दोस्त ने राजस्थान के सांभर साल्ट लिमिटेड और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड के बारे में बहुत कुछ कहा है और उस में जो-जो भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट या मुहायबे

हुए या जो अंडरस्टैंडिंग हुई वह पूरी नहीं हुई, यह कहा है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : कोई भी नहीं हुआ।

श्री शाहनवाज खां : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने दरखास्तें दीं सोडा ऐश और कास्टिक सोडा प्लान्ट्स लगाने के बारे में और कुछ दूसरे बाई-प्रोडक्ट्स जो हैं जैसे लिक्विड क्लोराइड बेजाइन हेक्सी क्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, फास्फोरिक पाउडर और सोडा, इन चीजों के लिए उन्होंने दरखास्तें दी थी। इन सब चीजों के लिए मार्च, 1971 में गावर्नमेंट आफ इंडिया ने एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें एप्लीकेशनस इनवाइट की गयी थीं। वह एक आम प्रेस कम्युनिके था जिस में सभी को दावत दी गयी थी कि जो-जो व्यक्ति यह कारखाना लगाना चाहते हैं वह इसके लिए एप्लीकेशनस दें। राजस्थान की कुछ पार्टियों ने जिस में इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कारपोरेशन राजस्थान भी था और एक प्राइवेट पार्टी थी मैसर्स गुलाटी एंड कंपनी, उन्होंने दरखास्त दी और उन पर गौर किया गया और उनको लेटर आफ इंटेन्ट भी दिया गया। इसी अरसे में जब कि कोटा फर्टिलाइजर प्लान्ट के एक्सपेन्शन की बात चली और वहां जो फालतू अमोनिया पैदा होना था उस का इस्तेमाल करते हुए सोडा ऐश का प्लान्ट लगाने की बात चली। तो उस वक्त हिन्दुस्तान लिमिटेड और सांभर साल्ट लिमिटेड ने भी अपनी दरखास्त दी और उसी के साथ-साथ श्री राम केमिकल्स जिन्होंने कि फर्टिलाइजर फैक्ट्री लगा रखी है, उन्होंने भी दरखास्त दी। बुनियादी बात यह है कि तमाम पार्टिज राजस्थान की जिन्होंने यह दरखास्तें

दी। चाहे वह मेसर्स गुलाटी थे या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन था, या वह सांभर साल्ट लिमिटेड थे वह सब के सब ऐसे थे कि उन का दारोमदार इस बात पर निर्भर था कि अमोनिया जो है वह उनको फर्टिलाइजर प्लान्ट से मिले। अब यह बुनियादी चीज है सोडा ऐश बनाने के लिए जो रा-मैटीरियल है उसमें अमोनिया एक बेहद जरूरी चीज है और अमोनिया सिर्फ श्री राम केमिकल्स बनाते हैं। तो सवाल यह पैदा हुआ कि अमोनिया का ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाय। रा-मैटीरियल साल्ट भी है लाइम स्टोन भी है अमोनिया है तो इस अमोनिया को वह जहां फैक्ट्री लगाना चाहते हैं वहां कैसे पहुंचाया जाय। मीटर गेज से ब्राड गेज में कन्वर्शन हो उसके बाद वैगन न मिलाने की दिक्कत है। बाई रोड ले जाने में मुश्किलत पैदा होंगी और इसके साथ-साथ हमारे सामने सवाल यह पैदा हुआ कि जो फर्टिलाइजर प्लांट लगेगा उस से जो अमोनिया पैदा होगा उसको जल्दी से जल्दी और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि सोडा ऐश प्लांट जल्द से जल्द लग सकें। देश में इन चीजों की कमी है। आम तौर पर जिसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं वह वक्त जिसमें यह प्लांट बनकर तैयार हो जाता है लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। लेकिन चूंकि श्री राम फर्टिलाइजर्स को इसका तजुबा है उनके अपने प्लांट्स हैं। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम जितने अरसे में दूसरे तैयार करेंगे उससे आधे अरसे में तैयार करायेंगे और उनका केस रिकमंड करके, उनका केस सिफारिश करके जो लाइसेंसिंग कमेटी है गवर्नमेंट आफ इंडिया की उस कमेटी के पास जो सांभर साल्ट का केस

श्री राम का केस, ये सब लाइसेंसिंग कमेटी के पास चले। अब लाइसेंसिंग कमेटी एक ऐसी कमेटी है कि जिनके मिनिस्ट्रो आफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेक्रेटरी चैयरमैन हैं और बाकी तमाम इकानामिक मिनिस्ट्रीज जो हैं उन सब के सेक्रेटरीज उसके मेम्बर हैं। वह तमाम चीजों को देखकर सबकी जांच पड़ताल करके सिफारिश करते हैं किसी केस की फिर वह मिनिस्टर के पास जाता है। अगर वह कोई लार्ज हाउस का केस है तो वह कैबिनेट कमेटी के पास जाता है। तो किसी एक मिनिस्टर का फैसला नहीं होता है। पूरी लाइसेंसिंग कमेटी इन सब चीजों पर गौर करके अपनी सिफारिशें मिनिस्टर को या कैबिनेट की कमेटी के सामने रखती है।

श्री भैरों सिंह शेखावत : प्रोसीजर बताने की क्या जरूरत है? आपने प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में मोडा ऐश का प्लांट या कास्टिक सोडा प्लांट लगाने की अनुमति दी है। छोटी भी बात है।

श्री रवी राय (उड़ीसा) : कास्टिक सोडा प्लांट के लिए श्री राम फर्टिलाइजर को कैसे दिया जब कि सांभर साल्ट उसको लेना चाहता था?

श्री शाहनवाज खां : जो हमारी इंडस्ट्रियल पालिसी है उसके मुताबिक वह चीजें जिनकी देश में बहुत कमी हो जिसके लगाने में बहुत ज्यादा रुपया लगता हो जो इंपोर्ट को सब्सिडी ट्यूट करने के लिए लगाया जाए उसमें लार्जर हाउसेज और फारन कंपनीज भी हिस्सा ले सकती हैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है।

श्री रबी राय : प्रेफरेंस क्यों दिया गया प्राइवेट सेक्टर को जब पब्लिक सेक्टर भी था ?

श्री शाहनवाज खां : मैंने अर्ज किया कि हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी में कोई कांटेडिक्शन नहीं है। उसके मुताबिक है।

श्री रबी राय : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। आप खुद जानते हैं कि भारत सरकार का बार-बार यह कहना है कि पब्लिक सेक्टर को प्रेफरेंस दिया जाए। ये कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया। मंत्री जी के स्टेटमेंट में कांटेडिक्शन है।

उपसभाध्यक्ष (श्री बिपिन पाल दास) : यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री शाहनवाज खां : मैं अर्ज कर रहा था कि यह चीज लाइसेंसिंग कमेटी के विचारधीन है। उन्होंने इस चीज के ऊपर गौर किया है। 3 अगस्त को इस चीज के ऊपर गौर किया गया है। जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का ताल्लुक है अभी तक हमें इसकी कोई खास खबर नहीं मिली कि क्या फैसला हुआ है। दूसरे जो सांभर साल्ट और हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड है ये पब्लिक अंडरटेकिंग हैं। जब तक हमारे पास प्लानिंग कमीशन की तरफ से फंड्स नहीं आएंगे तब तक अगर उनको इंडस्ट्रीयल लाइसेंस मिल भी जाता है तो भी वे प्रोजेक्ट नहीं चला सकते क्योंकि फंड्स का होना निहायत जरूरी है।

श्री भेरों सिंह शेखावत : जो राजस्थान मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन है क्या उनको भी आपने दिया है ?

श्री शाहनवाज खां : उनकी दे दिया गया है। मैसर्स गुलाटी जो राजस्थान के हैं उनको भी दिया है। जो रा-मैटीरियल है, जो बेसिक रा-मैटीरियल है—अमोनिया—अगर वह नहीं होगा तो लेटर आफ इंटेंड देने से महज कारखाने नहीं चल सकते। इनकी तो कीमत भी बहुत ज्यादा होती है 13, 14 करोड़ के लगभग इसकी कीमत होती है। क्योंकि फाइनेंस की कमी है इसलिए प्लानिंग कमीशन के लिए मुमकिन नहीं हो सका कि वह इस फिफथ प्लान में इन प्रोजेक्ट्स को लाए। मैं राजस्थान के मिनरल डिपार्टमेंट में रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट पूरी तवज्जा दे रही है उससे राजस्थान को तो लाभ है ही साथ ही पूरे देश को भी लाभ है।

मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि हमें जितनी जल्दी फाइनेंस या फंड्स मिलेगा उतनी ही जल्दी इन सब प्रोजेक्ट्स को चला पाएंगे। लेकिन आज तक प्लानिंग कमीशन इस हालत में नहीं है कि वह काफी फंड्स हमें दे सके। जब तक यह फंड्स नहीं मिलें तब तक हम नहीं चाहते कि देश की तरक्की रोकी जाए और अगर दूसरे लोग रुपया लगा कर कारखाने चला सकते हैं तो हम उन की तरक्की को भी रोकना नहीं चाहते क्योंकि देश में इन चीजों की कमी है। बाहर से जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसको रोकने के लिए और देश की कमी को पूरा करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम जितनी जल्दी इनका डेवलपमेंट कर सकें, करे, इंडस्ट्रीज लगा सकें, लगाएं जिससे अपने नौजवानों को एम्प्लायमेंट मिल सके, फारेन एक्सचेंज को सेव कर सकें और देश की जनता की सेवा कर सके।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) Mr. R. K. Mishra,

SHRI L. MAHAPATRO (Orissa) : Sir . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : Well, you have not given your name. You cannot stand up like that every now and then. Please sit down.

SHRI R. K. MISHRA (Rajasthan) : Sir, the Minister's reply is not only irrelevant and beside the point, but he has made an additional shocking revelation that even though a public sector company had applied for a licence for setting up a by-products industry in Sambhar, preference was given to a private sector monopoly house, for using the raw material of a public sector company for exploitation by a private sector company.

SHRI RABI RAY : That is Mrs. Gandhi's socialism.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : No running commentary, please.

SHRI R. K. MISHRA : The issues involved in it are the issues of the interest of the State of Rajasthan. One and a half crores of rupees have been lost. I would only like to ask three or four specific questions because of shortage of time. In 1961 the Krishnamachari award was given. What did Hindustan Salts and Sambhar Salts do till 1971 when they issued a press note inviting applications for licence from everybody? They had promised in the Krishnamachari award to the people and the Government of Rajasthan that they would set up a by-products industry in Sambhar. For full 10 years—in 1964 Sambhar Salts was formed—they did nothing about it.

At that time Rajasthan did not have enough knowhow for having by product industries. Now in Didwana there has been a public sector unit for production of sodium salt. The State Government has sufficient technical knowhow and if the Minister thinks that the Planning Commission is not in a position to provide funds, let him hand over the Sambhar Salt resources to the State of Rajasthan. The State of Rajasthan will be able to find

funds and to exploit it in the interests of the people of Rajasthan, in the interests of industrialisation of Rajasthan. Is he prepared to compensate the State because Rs. 15 lakhs, which were being given to the State every year, are being denied to it? Because of the losses incurred in Gujarat and Himachal Pradesh your company is running at loss and therefore you are depriving the State of Rajasthan of precious resources of Rs. 15 lakhs. Are you prepared to compensate the State for this amount of Rs. 15 lakhs or not? Why did not your public sector company do anything for ten years for development of by-product resources in the State?

श्री शाहनवाज खाँ : यह सही बात है कि जितना डेवलपमेंट वहां पर होना चाहिए उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है और जो कारखाने वहां पर साल्ट वाई-प्रोडक्ट के बनने चाहिए उतने नहीं लग सके हैं पिछले 10 वर्षों में। उसके लिए मुझे इस वक्त कोई खास जानकारी नहीं है। क्यों नहीं हो सकी उसकी क्या वज्रूहात थी उसके बारे में अगर कनसर्न मिनिस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पूछ लिया जाय तो ठीक होगा।

श्री रबी राय : श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि हमारे कैबिनेट की जायन्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये लोग तैयारी करके नहीं आते हैं और इस प्रकार से उत्तर दे देते हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : Mr. Rabi Ray, you know the rules very well . . .

श्री रबी राय : हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा है। आप उनसे कहिए कि ठीक जवाब दें। कम से कम आप तो हमारी रक्षा कीजिए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : This is no point of order.

SHRI RABI RAY : Yes, it is. We do not get replies to our questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : You put those questions to the Ministry of Industrial Development separately. Now let him answer to the points raised.

SHRI RABI RAY : He referred to the TFK report. But the Minister does not reply to that.

श्री शाहनवाज खां : अगर राजस्थान गवर्नमेंट कोई ऐसी प्रोजेक्ट या तजवीज को जो उनके पास हो और वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान साल्ट लिमिटेड या सांभर

साल्ट लिमिटेड को हमारे सुपुर्द कर दिया जाय तो वह अपनी प्रोजेक्ट को यहां भेजें। उसके ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट हमददी से गौर करेगी और उस केस के मैरिट जो भी होंगे उसके मुताबिक उस पर गौर करेगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BIPIN-PAL DAS) : The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty-eight minutes past six of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 14th August, 1974.